BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION No. 19 of 2025
IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 679 OF 2023

IN THE MATTER OF:-
NISHANT SINGH **.....APPLICANT**

VERSUS

ANNAPURNA HOSTEL & ORS. **....RESPONDENT(S)**

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Response/Reply on behalf of U.P. Pollution Control Board.	1-3
2	**ANNEXURE-1** True copy of letter dated 09.10.2025	4-47
3	**ANNEXURE-2** True copy of the letter dated 17.10.2025	48-50
4	**ANNEXURE-3** Copy of the Summary	51-52

NEW DELHI

DATED: 30.10.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI,**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 679 OF 2023
(EA No. 19/2025)**

IN THE MATTER OF:-
NISHANT SINGH **.....APPLICANT**

VERSUS

ANNAPURNA HOSTEL & ORS. **....RESPONDENT(S)**

RESPONSE/REPLY ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

I, Vikas Mishra, S/o. Shri Ganga Sharan Misra, aged about 45 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Greater NOIDA, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That the deponent is a Regional officer of the respondent of UPPCB, in the present case and as such being conversant with the facts and circumstances of the present case and competent to swear this affidavit.

2. That Hon'ble Tribunal passed order on dated 30.07.2025, relevant portion of said order are reproduced below :-

"...6. Learned Counsel for UPPCB submits that now fresh inspection will be done and source of water including extraction of ground water by these hostels will be ascertained and appropriate action will be ensured. He has sought three weeks' time to file the action taken report.

3. That the present affidavit is being filed on behalf of the UPPCB pursuant to the order dated 30.07.2025 passed by Hon'ble Tribunal.

4. That RO, UPPCB, Greater Noida vide letter dated 26.07.2025 has sent a letter to Hydrologist, U.P. Ground Water Department for taking action against abstracting ground water without obtaining NOC. In continuation of that letter Executive Engineer, U.P. Ground Water Department vide letter dated 09.10.2025 has replied, according to reply notices has been sent to concerned hostels vide letter dated 04.10.2025. Copy of the said reply is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1.**

5. That further RO, UPPCB, Greater Noida vide letter dated 17.10.2025 has sent a letter to Executive Engineer, U.P. Ground Water Department to obtain detailed action taken report. Copy of the said letter is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2.**

6. That In pursuance of 27 show cause notices issued by UPPCB, closure order of DG sets has been issued vide dated 29.10.2025 against 23 hostel (non-compliant DG sets) out of 27 hostels, 02 hostels has been removed their DG sets, 01 hostel has been installed RECD on DG sets with proper stack

NOTARY Virendra Kr. Garg Notary Advocate Reg. No. 7874 G.B. Nagar GOVT OF INDIA

and 01 hostel has found closed. Copy of the summary is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3.**

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above noted deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge and belief. No part of the same is false and nothing material has been concealed there form.

VERIFIED ON THIS DAY THE 29th DAY OF OCTOBER, 2025 AT G.B. NAGAR

DEPONENT

NOTARY Virendra Kr. Garg Notary Advocate Reg. No.-2874 G.B. Nagar GOVT OF INDIA

ATTESTED 29/10/2025 Virendra Kr. Garg Notary Advocate Reg. No.-2874 G.B. Nagar

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,
क्षेत्रिय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड
ग्रेटर नोएडा।

पत्रांक:– 84 NGT 679 भू0ज0वि/एक्ट(एन0जी0टी0 679/2023)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 9·10· 2025

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–679/2023 (ई0ए0 19/2025) निशान्त सिंह बनाम अन्नापूर्णा हॉस्टल व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में आपके पत्र सं0–499/NGT-68/2025 के क्रम में 41 छात्रावास का निरीक्षण भूगर्भ जल विभाग द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश छात्रावास में भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु बोरवेल स्थापित पाये गये। किसी भी छात्रावास संचालक के पास भूगर्भ जल निष्कर्षण की अनुमति नहीं थी। अनुमति प्राप्त करने हेतु सभी छात्रावास संचालकों को नोटिस दिया गया। (नोटिस सूची संलग्न)

कृत कार्यवाही आपकी सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

9.10.25

(विश्वजीत सिंह)
नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
1– जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, महोदया गौतमबुद्धनगर।
2– मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, महोदय गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक– 103 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक 04/10/2025

M/s EZ Stays
Hostel (Mondela Mansion)
Plot No-13 B, H.P.-3
G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जावेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानो के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियो को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 104 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/2025

Fortune by Hive,
Knowledge Park-3
Greater Noida.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निश्चान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्कषण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर ले। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 102 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/2025

M/s Ampurna
Hostel Infront
of Dr. Chauhan Sanjivni
Hospital, G.B. Nagar.

–:नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 101 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/2025

M/S KCC Institute,
Plot No. 2B, 2C,
H.P.-3, G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एंव सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 100 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/2025

M/S Siddhi Vinayak
Girls Hostel,
Plot No-A-1, K.P.-3
G.B. Nagar.

–:नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 99 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/2025

M/S E2 Stays Hostel
(Neerja Residency),
Plot-No-6D, H.P. 3,
G. B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 98 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/2025

M/S Annpurna Hostel
(Block-F) Plot No-47,
Nimali, U.P. 3, G.B. Nagar.

–:नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए०डी०–18,प्रकाश गौरव सिंह–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक– 97 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर   दिनांक 04/10/2025

M/s Annpurna
Hostel, Plot No-C.25
K.P.-3, G.B.Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्राविधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगुना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संक्षेप उपरोक्त अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्राविधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 विश्वजीत सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सम्बन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 06 की धारा 39(1–क) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 96 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/2025

M/S Simran Girls
Hostel, Plot No - C-25,
K.P.-3, G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवैल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवैल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यो को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ट्यूबिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवैल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 95 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/2025

M/S White House
Hostel, Plot No-04A/1,
H.P.-3, G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 94 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 09/10/2025

M/S Shiv Shakti
Home, Plot No. 31C
U.P.–3, G.B. Nagar.

–:नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

खण्ड अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

खण्ड अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 93 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/2025

AS
M/S A Boys Hostel/EZ-stays
(Bosa Cottage-2)
Plot No-A-39, K-P.-2,
G.B. Nagar

–:नोटिस:–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकासी हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर ले। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 92 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/2025

M/S Raksha
Girls Hostal,
Plot No-12 A, K.P.-3,
G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एंव सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति दोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति दोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उदेश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 91 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/2025

M/S Nalanda
Heavan (Girls Hostel),
Plot No-A-25, K.P.-3
G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा द्विलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर ले। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः– 90 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांकः 04/10/2025

M/S Vanya
Racidency, Plot No-8B,
K.P.-3, G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश मे भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयो का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान मे उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश मे 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्राविधानो के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान मे आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 मे प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद मे इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यो को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओ को उक्त अधिनियम मे किये गये प्रावधानो के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियो को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसो के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा मे अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओ के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य मे पारित आदेशो का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान मे आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) मे निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 89 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 04/10/25

M/S Galaxy Residency,
Plot No- A-2
K.P.-3, Gr.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति दोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति दोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके दोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 88 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/s The Castle Living
(Boys Hostle)
K.P.-3, G.B. Nagar.

–:नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 87 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/s EZ Stays
Hostel (Bose Cottage),
Plot No-91, K.P. III
G.B. Nagar.

–:नोटिस:–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवैल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवैल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवैल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 86 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/S EZ Stays
Hostel (Vrindathi House)
Plot No-27/4, K.P.-3,
G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एंव सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राक्धानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्श्कषण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 85 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/S EZ Stays
Hostel (Picasso's Haven)
Plot No-A-10, K.P.-3,
G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एंव सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राक्धानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर ले। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 84 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/S Annpurna
Hostel (Block-B)
Plot No-A-8, APJ
Abdul Kalam.

–:नोटिस:–

उत्तर प्रदेश मे भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एंव सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयो का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान मे उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम मे किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियो को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान मे आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 93 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/S Annpurna Hostel
(Block-A), Plot No- C-26,
R.P.-III, G.B. Nagar.

–:नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एंव सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवैल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवैल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवैल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 82 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक 4/10/25

M/s Pakhi Nest,
Plot No-D-45, KP-III
G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा हॉस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–16,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 81 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/s Bright STA,
Near Sangbi Palace,
K.P. – III, G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

खण्डीय अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

खण्डीय अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 80 /भू०ज०वि / एन०जी०टी०–679 / 2023 / एवट(एन०ओ०सी०)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक 4/10/25

M/S Casa Bella
Living, Plot No-D-9,
K.P.-III PP. VSK Garden
G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान मे उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान मे आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों / संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति / समूह / संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण / अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली मे विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या–679 / 2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू० 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू०ज०वि / एन०जी०टी० / एवट(एन०ओ०सी०)–25 गौतमबुद्धनगर / तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–
1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी / सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक– 79 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एवट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/S A.B. Hostel
Plot No-2C,
K.P.-III, G.B. Nagar

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश मे भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयो का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान मे उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश मे 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान मे आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओ द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 मे प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद मे इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यो को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम मे किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियो को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसो के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा मे अधिनियम के प्रावधानो के अतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओ के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा हॉस्टल व अन्य मे पारित आदेशो का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान मे आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) मे निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एवट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः– 78 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक

M/S Magadh Inn
Plot No- C-6,
K.P.-III. G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश मे भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयो का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान मे उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश मे 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान मे आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगो/संस्थाओ द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 मे प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद मे इस प्रकार के संज्ञेय उपरथ अधिनियम के उद्देश्यो को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओ को उक्त अधिनियम मे किये गये प्रावधानो के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियो को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसो के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा मे अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओ के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा हॉस्टल व अन्य मे पारित आदेशो का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान मे आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर ले। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) मे निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 78 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक:

M/s Magadh Inn
Plot No- C-6,
K.P.-III, G.B. Nagar.

–:नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 77 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक 4/10/23

M/S Raksha Boys
Hostel, Plot No-12A,
U-P-III, G.B. Nagar.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एंव सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राक्धानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 76 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/S Siddhi
Vinayak Hostel,
Plot No-C-24, IIMT Road.

–:नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जावेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियो को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर ले। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 75 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर 4/10/23 दिनांक:

M/S Hostel
Royal Plaza/
Royal Paradise
Girls Hostel.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 75 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/23

M/S Hostel
Royal Plaza/
Royal Paradise
Girls Hostel.

–:नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनिदमन एंव सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राक्धानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धषण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:–74 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक:

M/S Nalanda
House (Boys Hostel)
Plot No-2C, K.P.-III

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगुना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संक्रिय उपरांत अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्राविधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 73 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक:

M/S Nalanda Living
Plot No-25/03A,
K.P.-III

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश मे भूजल की सुरक्षा, नियत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयो का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान मे उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश मे 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान मे आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 मे प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जावेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद मे इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओ को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा मे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओ के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य मे पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान मे आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर ले। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 72 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक:

M/S Stanza Living
(Chicago House),
Plot No-39 B, KIP-III

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ट्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 71 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/s Stanza Living
(Adelaide House),
Plot No-28/1A,

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एंव सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एव भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियो को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 90 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक:

M/S. Stanza
Living (Paris House),
Plot No-1/A3, K.P.III

–:नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्ष्कषण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 69 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/s E2 Stays
Hostel (Kalam Cottage-2),
Plot No-5A, K.P.-III

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एंव सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवैल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवैल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि कर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर ले। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवैल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 68 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/S. EZ Stays
Hostel (Einstein House),
Plot No-04 D, G.B. Nagar.

–:नोटिस:–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः– 67 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक

M/S. Annpurna
Hostal (Block-G),
Plot. No-09, Nimoli.

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एंव सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा हॉस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 66 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 4/10/25

M/S Annpurna Hostel (Block-E),
Plot No. C-32, Knowledge Park-2,
Greater Noida.

–:नोटिस:–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

गोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

गोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 65 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर 14/10/2023

M/S. Annapurna,
Hostel (Block-D),
Plot No-04, Nimoli,

–नोटिस–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एंव सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर ले। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18,अंसल गोल्फ लिंक–2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:– 64 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0–679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक:

M/S, Annpurna
Hostal, (Blok-H),
Plot No-96, Nimoli.

–:नोटिस:–

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर पदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा– 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2–5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राक्धानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई–मेल आई डी– vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय– 08 की धारा 39(1–ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:– /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)–25 गौतमबुद्धनगर/तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या : 090/ भू०जा०-४/NGT-60/25 दिनांक : 17/10/25

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता/नोडल जिला भूगर्भ जल प्रबन्धक परिषद
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर
ए0ई0– 18, असंल गोल्फ लिंक–2,
दादरी मेन रोड, ग्रेटर नोएडा।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–679/2023 (ई0ए0 19/2025) निशांत सिंह बना अन्नपूर्णा हास्टल व अन्य में पारित आदेशो के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय अपने पत्रांक 84 एन0जी0टी0 679/भू0जा0वि0/एक्ट (एन0जी0टी0 679/2023)–25 गौतमबुद्धनगर दिनांक 09.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें। तत्क्रम में आप द्वारा प्रेषित पत्र में प्रश्नगत छात्रावासो को उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया है। प्रश्नगत छात्रावासो को नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त की कार्यवाही (एन0ओ0सी0 निर्गमन की स्थिति, जुर्माना अधिरोपण, बोरवेल सीलिंग की कार्यवाही) इस कार्यालय में अप्राप्त है। अग्रेतर अवगत कराना है कि 27 छात्रावासो का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा कराया गया, जिन छात्रावासो में भूगर्भ जल निष्कर्षण किया जा रहा है, उनकी सूची संलग्न है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत छात्रावासो का निरीक्षण करते हुये नियमानुसार कार्यवाही करनें का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करनें का कष्ट करें, जिससे अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण को प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Sl. No.	Name & Address	Date of Inspection	Nos. of Borewell
1	M/s Siddhi Vinayak Hostel, Plot No.-C-24, IIMT Road, Near NPCL Sub Station, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	22.09.2025	1
2	M/s Stanza Living (Chicago House), Plot No.- 39B, Knowledge Park-2, Greater Noida, G.B. Nagar	22.09.2025	2
3	M/s Stanza Living (Adelaide House), Plot No.-28/1A, Knowledge Park-3, Near Jagat Farm, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	26.09.2025	2
4	M/s Stanza Living (Paris House), Plot No.-1/A3, Knowledge Park-1, Near Jagat Farm, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	22.09.2025	1
5	M/s Shiv Shakti Home, Plot No.-31C, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	26.09.2025	-
6	M/s Pakhi Next, Plot No-D45, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar	22.09.2025	-
7	M/s Magadh Inn Plot No-C6, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar	22.09.2025	1
8	M/s Bright STA Plot No-D28, Near Sangabi Palace Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar	26.09.2025	2
9	M/s Nalanda House (Boys Hostel) Plot No-2C, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar	22.09.2025	3
10	M/s Annapurna Hostel (Block-D), Plot No.- 04, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	26.09.2025	1
11	M/s Annapurna Hostel (Block-G), Plot No.- 94, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	26.09.2025	1
12	M/s Annapurna Hostel (Block-H), Plot No.- 96, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	26.09.2025	-
13	M/s EZStays Hostel (Einstein House), Plot No.-04D, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	26.09.2025	1
14	M/s EZStays Hostel (Kalam Cottage-2), Plot No.-5A, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	26.09.2025	1
15	M/s EZStays Hostel (Bose Cottage), Plot No.-91, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	26.09.2025	1

16	M/s Nalanda Living, Plot No.-25/03A, Knowledge Park-3, Near G.L. Bajaj, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	26.09.2025	1
17	M/s Hostel Royal Plaza/Royal Paradise Girls Hostel, Plot No.-10D, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	26.09.2025	1
18	M/s Raksha Boys Hostel, Plot No.-12A, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	26.09.2025	3
19	M/s Casa Bella Living, Plot No.-D-9, Knowledge Park-2, Opp. VSK Garden, Greater Noida, G.B. Nagar	26.09.2025	1
20	M/s Vanya Residency, Plot No.-8B, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	26.09.2025	1
21	M/s White House Hostel, Plot No.- 04A/1, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	26.09.2025	1
22	M/s Simran Girls Hostel, Plot No.-C25, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	22.09.2025	1
23	M/s AS Boys Hostel/EZ-Stays (Bose Cottage-2), Plot No.-A39, Knowledge Park-2, Greater Noida, G.B. Nagar	22.09.2025	2
24	M/s Annapurna Hostel (Block-E), Plot No.- C-32, Knowledge Park-2, Greater Noida, G.B. Nagar	22.09.2025	1
25	M/s Galaxy Residency, Plot No.- A2, Knowledge Park-3, Near IIMT College, Greater Noida, G.B. Nagar	22.09.2025	1
26	M/s AB Hostel, Plot No.-2C, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	22.09.2025	1
27	M/s Annapurna Hostel (Block-B), Plot No.- A-8, APJ Abdul Kalam Road, Behind Gurudwara, Near Sharda University, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	26.09.2025	-

Sl. No.	Name & Address	Remark
1.	M/s Stanza Living (Chicago House), Plot No.- 39B, Knowledge Park-2, Greater Noida, G.B. Nagar	UPPCB has revoked Show Cause Notice vide letter dt. 29.10.2025
2.	M/s Annapurna Hostel (Block-H), Plot No.- 96, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar.	UPPCB has revoked Show Cause Notice vide letter dt. 29.10.2025
3.	M/s EZStays Hostel (Kalam Cottage-2), Plot No.- 5A, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	UPPCB has revoked Show Cause Notice vide letter dt. 29.10.2025
4.	M/s Annapurna Hostel (Block-B), Plot No.- A-8, APJ Abdul Kalam Road, Behind Gurudwara, Near Sharda University, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	UPPCB has revoked Show Cause Notice vide letter dt. 29.10.2025
5.	M/s Siddhi Vinayak Hostel, Plot No.-C- 24, IIMT Road, Near NPCL Sub Station, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
6.	M/s Stanza Living (Adelaide House), Plot No.-28/1A, Knowledge Park-3, Near Jagat Farm, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
7.	M/s Stanza Living (Paris House), Plot No.- 1/A3, Knowledge Park-1, Near Jagat Farm, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
8.	M/s Shiv Shakti Home, Plot No.-31C, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
9.	M/s Pakhi Next, Plot No-D45, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
10.	M/s Magadh Inn Plot No-C6, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
11.	M/s Bright STA Plot No-D28, Near Sangabi Palace Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
12.	M/s Nalanda House (Boys Hostel) Plot No- 2C, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
13.	M/s Annapurna Hostel (Block-D), Plot No.- 04, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
14.	M/s Annapurna Hostel (Block-G), Plot No.- 94, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.

15.	M/s EZStays Hostel (Einstein House), Plot No.-04D, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
16.	M/s EZStays Hostel (Bose Cottage), Plot No.-91, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
17.	M/s Nalanda Living, Plot No.-25/03A, Knowledge Park-3, Near G.L. Bajaj, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
18.	M/s Hostel Royal Plaza/Royal Paradise Girls Hostel, Plot No.-10D, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
19.	M/s Raksha Boys Hostel, Plot No.-12A, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
20.	M/s Casa Bella Living, Plot No.-D-9, Knowledge Park-2, Opp. VSK Garden, Greater Noida, G.B. Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
21.	M/s Vanya Residency, Plot No.-8B, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
22.	M/s White House Hostel, Plot No.- 04A/1, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
23.	M/s Simran Girls Hostel, Plot No.-C25, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
24.	M/s AS Boys Hostel/EZ-Stays (Bose Cottage-2), Plot No.-A39, Knowledge Park- 2, Greater Noida, G.B. Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
25.	M/s Annapurna Hostel (Block-E), Plot No.- C-32, Knowledge Park-2, Greater Noida, G.B. Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
26.	M/s Galaxy Residency, Plot No.- A2, Knowledge Park-3, Near IIMT College, Greater Noida, G.B. Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.
27.	M/s AB Hostel, Plot No.-2C, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar	UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025.

Non-Compliant DG Set established- 23
Hostels Compliant DG Set established- 01 Hostel
No DG set found- 02 Hostels
Hostels found Closed- 01 Hostel